रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 342] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 1, 2015/आश्विन 9, 1937
No. 342] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 1, 2015/ASVINA 9, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 अक्तूबर, 2015

सं. सेबी/ एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/024.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, एमसीएक्स-सएक्स क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, चौथी मंज़िल, विबग्योर टॉवर, प्लॉटसं. सी 62, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी), बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 098, द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 12 के अधीन मान्यता का नवीकरण प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोक हित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम को मान्यता 3 अक्तूबर, 2015 को प्रारंभ होने वाले और 2 अक्तूबर, 2016 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए, इसमें नीचे कथित शर्तों अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाएँ के अध्यधीन, प्रदान करता है:

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन-III/4/असा./69जैडबी/2015-16]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 1st October, 2015

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/024.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of renewal of recognition under Regulation 12 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 by MCX-SX Clearing Corporation Limited, Vibgyor Towers, 4th Floor, Plot No. C 62, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai–400098and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year commencing on the 3rdday of October, 2015 and ending on the 2ndday of October, 2016 subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter :

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

R. K. AGARWAL, Whole Time Member

[ADVT.-III/4/Exty./69 IB/2015-16]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.